

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 481
जिसका उत्तर दिनांक 21.07.2022 को दिया जाना है

देश में जीवाश्म ईंधन संसाधन

481 श्री वि. विजयसाई रेड्डी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि देश में प्रचुर जीवाश्म ईंधन संसाधन नहीं है और ऊर्जा की अत्यधिक मांग के मद्देनजर उपलब्ध संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे हैं;
- (ख) क्या यह भी सच है कि भारत ने सीओपी-26 में यह वचनबद्धता प्रकट की थी कि वह वर्ष 2030 तक 500 गीगा वाट की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल कर लेगा और ऊर्जा संबंधी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से पूरा करेगा;
- (ग) यदि हाँ, तो दस से अधिक नाभिकीय संयंत्रों का निर्माण अत्यधिक धीमी गति से करने के क्या कारण हैं; और
- (घ) देश में निर्माणाधीन प्रत्येक नाभिकीय संयंत्र का ब्यौरा और उसकी स्थिति क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

- (क) भारत में, जीवाश्म ईंधन संसाधनों की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में नहीं है और अधिकतर एवं बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग पर विचार करते हुए सभी ऊर्जा स्रोतों का इष्टतम तरीके से उपयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत उत्पादन का स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल आधारभूत स्रोत है जो 24 x 7 उपलब्ध है। इसमें विशाल क्षमता है और देश को दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
- (ख) माननीय प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में आयोजित सीओपी26 शिखर सम्मेलन में अपने वक्तव्य में कहा है कि भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंच जाएगी और वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से भारत की 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता पूरी हो जाएगी।
- (ग) 8700 मेगावाट की कुल क्षमता वाले ग्यारह (11) रिएक्टर विभिन्न चरणों पर निर्माण/कमीशनन के अधीन हैं (केएपीपी-3 जो पहले ही ग्रिड से जोड़ दिया गया है और भाविनी द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे पीएफबीआर सहित)। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 7000

मेगावाट की क्षमता वाले 10 रिएक्टरों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है जो पूर्व-परियोजना गतिविधियों के अधीन हैं। जबकि परियोजनाओं का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है, परियोजना निष्पादन में घरेलू उद्योगों द्वारा महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति में विलंब, ठेकेदारों का वित्तीय संकट/धनापूर्ति समस्याएं, कुशल ठेकेदार श्रमशक्ति की कमी, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान प्रतिबंध, फुकुशिमा घटना के बाद संस्तुत डिजाइन में परिवर्तन का क्रियान्वयन इत्यादि जैसे कारकों के कारण परियोजना निष्पादन में विलंब महसूस किया गया है। रूसी परिसंघ के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के संबंध में, चल रहे रूस-युक्रेन युद्ध से भी कार्यक्रम प्रभावित है।

(घ) निर्माण/कमीशनन के अधीन और प्रशासनिक अनुमोदन एवं मंजूरी प्राप्त नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की स्थिति निम्नलिखित है:

राज्य	स्थान	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	भौतिक प्रगति (जून 2022 तक) / स्थिति
निर्माणाधीन परियोजनाएं				
गुजरात	काकरापार	केएपीपी-3 ⁵ तथा 4	2 X 700	97.05%
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीपी-7 तथा 8	2 X 700	88.45%
तमिलनाडु	कूडनकुलम	केकेएनपीपी-3 तथा 4	2 X 1000	61.25%
		केकेएनपीपी-5 तथा 6	2 X 1000	10.89%
	कल्पाक्कम	पीएफबीआर	1 X 500	97.64%
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी-1 तथा 2	2 X 700	नाभिकीय भवन-1 व 2 के आधार स्तम्भों की ढलाई का कार्य पूरा हो गया है और परीक्षण कार्य प्रगति पर है। अन्य भवनों और ढाँचों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय मंजूरी प्राप्त परियोजनाएं				
कर्नाटक	कैगा	कैगा-5 तथा 6	2 X 700	स्थल पर पूर्व-परियोजना गतिविधियां और लंबे विनिर्माण प्रचक्र उपकरणों का थोक प्रापण प्रगति पर है। कैगा-5 व 6 में उत्खनन कार्य आरम्भ हो चुका है।
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी- 3 तथा 4	2 X 700	
मध्य प्रदेश	चुटका	चुटका-1 तथा 2	2 X 700	
राजस्थान	माही बांसवाड़ा	माही बांसवाड़ा-1 तथा 2	2 X 700	
		माही बांसवाड़ा-3 तथा 4	2 X 700	

⁵ केएपीपी-3 (700मेगावाट) को जनवरी 2021 को गिड से जोड़ दिया गया है।
